बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक .....

विषय :– बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 के संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) में संशोधन एवं वर्त्तमान संगम अनुच्छेद (Articles of Association) के स्थान पर नया संगम अनुच्छेद (Articles of Association) की स्वीकृति के संबंध में।

(Regarding amendment in Memorandum of Association & replacement of present Articles of Association with new Articles of Association of Bihar State Electronics Development Corporation Limited.)

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग निगम लि0 की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई थी। निगम लगभग पच्चीस वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं यथा–टी0भी0, माईनिंग सेफ्टी इक्यूपमेंट, इंटरकॉम आदि का उत्पादन कार्य करती रही है, किन्तु बाजारू स्पर्धा में पिछड़ जाने एवं बदले समाजिक परिवेश के कारण निगम अपने उत्पाद इकाईयों को काफी समय तक चलाने में सक्षम नहीं रहा, फलस्वरूप वर्ष 2003 में राज्य सरकार को निगम के परिसमापन का निर्णय लेना पड़ा।

2. कालान्तर में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नवगठित सूचना प्रावैधिकी विभाग में हस्तानांतरित करते हुए सूचना प्रावैधिकी से संबंधित केन्द्र सरकार के परियोजना एन0ई0जी0पी0 के तहत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गयी।

3. निगम राज्य सरकार की विभिन्न आई0टी0 परियोजनाओं के संचालन करने में सफल रहा है एवं लगातार पाँच वर्षों तक लाभ अर्जित करने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के निर्णय के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा निगम के परिसमापन संबंधी निर्णय को वर्ष 2014 में वापस लिया गया है।

4. निगम के स्थापना वर्ष से वर्त्तमान के क्रियाकलापों में बदलाव हो चुका है। निगम तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादनकर्त्ता से सूचना प्रावैधिकी संबंधी सेवा प्रदाता बन चुका है।

5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) के clause V में वर्णित अधिकृत पूंजी (Authorised capital) 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ किया जा चुका है।

6. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 के संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) के clause III के sub clause A में वर्णित Object के स्थान पर नये Object को शामिल करने तथा संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) में वर्त्तमान कम्पनी अधिनियम, 2013 के आलोक में clause III के sub clause B का शीर्षक बदलने एवं clause III के sub clause C को समाप्त करने हेतु संशोधन किया जाय (अनुलग्नक–1), जिससे वर्त्तमान में निगम द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सूचना प्रावैधिकी संबंधित सेवा कार्य निर्बाध गति से सम्पादित किया जा सकेगा। साथ हीं निगम के नये संगम अनुच्छेद (Articles of Association) (अनुलग्नक–2) के निर्माण से निगम का संगम अनुच्छेद (Articles of Association) वर्त्तमान कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अद्यतन हो जायेगा, जिससे वैधानिक कार्यों का सम्पादन वर्त्तमान कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया जा सकेगा।

7. उक्त संकल्प को दिनांक–07.02.2017 को मद संख्या–28 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

क्रमशः पृष्ठ–2

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–38 / 2015 सू०प्र०..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–38 / 2015 सू०प्रा०..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव / विकाय आयुक्त, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / उप–मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / वित्त मंत्री के आप्त सचिव / मंत्री, सू०प्रा०विभाग के आप्त सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त के सचिव / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, राज्य सूचना आयोग / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–38 / 2015 सू०प्रा०..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि : उप सचिव (ई–गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–38 / 2015 सू०प्रा० 242 पटना, दिनांक 13/02/17
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव